मु0नं0 06 / 2025

उनवान बुधराम बनाम ग्राम पंचायत रानौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 06 / 2025

तारीख रजू :– 03.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

बुधराम पुत्र रामचरण आयु 72 वर्ष जाति मीना निवासी रानौली तहसील बालघाट, जिला करौली (राज0)

अपीलांटस

बनाम

1. ग्राम पंचायत रानौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रानौली तहसील बालघाट, जिला करौली (राज0)
2. तहसीलदार बालघाट, तहसील बालघाट, जिला करौली (राज0)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रानौली वसिलसिले नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 बांके ग्राम रानौली तहसील बालघाट, जिला करौली

उपस्थित :– 1 अभिभाषक अपीलांटस :– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

2 अभिभाषक रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांकः– 07.10.2025

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अदालत मातहत ग्राम पंचायत रानौली का निर्णय दिनांक 25.03.2025 रूयेदाद मिसिल एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार हरिप्रसाद पुत्र किशोरी द्वारा नवीन खाता संख्या 423 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 820 रकवा 33 ऐयर, स्थित ग्राम रानौली के सम्पूर्ण हिस्से की दिनांक 17.01.2025 को अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र पर मौके पर कब्जा करा दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र तारीखी 17.01.2025 के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा पटवारी हल्का रानौली के पास विकय पत्र तारीखी 17.01.2025 का अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण खोलने बावत् आवेदन करने

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

पर पटवारी हल्का रानौली द्वारा विक्रय पत्र तारीखी 17.01.2025 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 दर्ज कर वास्ते जांच व आदेशार्थ व तस्दीक हेतु रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 के यहां प्रस्तुत किया गया जिसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा दिनांक 25.03.2025 को विधि विरूद्ध बिना किसी उचित कारण के अस्वीकार कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का निर्णय तारीखी 25.03.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अपीलान्ट का नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 को अपीलान्ट से राजनैतिक रंजिश की वजह से खारिज किया गया है। इसलिये अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ग्राम पंचायत रानौली का वर्तमान सरपंच मानसिंह मीना द्वारा अपीलान्ट से विक्रय पत्र तारीखी 17.01.2025 के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 को तस्दीक करने के लिये अनैतिक मांग की गई जिसकी पूर्ति नहीं करने पर अपीलान्ट का नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया जो विधि विरूद्ध होने से अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण अस्वीकार करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है ना ही नामान्तकरण में राजस्व अधिकारी की जांच किस कारण से अस्वीकार की गई, कारण दर्ज नहीं है। बिना कोई कारण के नामान्तकरण तस्दीक नहीं करने के कारण अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण कर निरस्त करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को नोटिस दिया गय, ना ही अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट को सुने बिना ही नामान्तकरण को अस्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 ग्राम रानौली के निर्णय तारीखी 25.03.2025 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 17.01.2025 के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक करने का रेस्पोडेन्ट को आदेश फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिए सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। मूल नामांन्तरकरण तलब किये मैने अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनी। अधिवक्ता द्वारा अपने अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस नं0 1 के द्वारा बिना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई के बिना नोटिस देकर विक्रय पत्र तारीखी 17.01.2025 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 587 तारीखी 07.03.2025 को दिनांक 25.03.2025 को विधि विरूद्ध बिना किसी उचित कारण के अस्वीकार कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। इसलिये अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 587 दिनांक 07.03.2025 ग्राम रानौली के निर्णय दिनांक 25.03.2025 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2025 के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया है।

मैने अपीलांटस की बहस व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया कि उक्त नामान्तरकरण अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कोई उचित कारण के नामान्तकरण को अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलान्ट कीअपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा नामांन्तरकरण संख्या 587 दिनांक 07.03.2025 ग्राम रानौली के निर्णय दिनांक 25.03.2025 को निरस्त किया जाता है एवं अपील रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार बालघाट को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2025 के अनुसार अपीलान्ट के हक में नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक फरमावे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
* टोडाभीम, जिला-करौली *

([illegible] मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Scanned with OKEN Scanner